न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उसमान बनाम इस्लाम खां

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.07.22	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.09.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित खाता संख्या 318 में वर्णित आराजी संख्या हाल खाता संख्या 51 में वर्णित आराजी ख0नं0 हाल 307 रकबा 0.4200हे0 वाके ग्राम खोह तहसील किशनगढबास जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 27.09.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)	
27-9-22	वकील प्रार्थी उप०। वास्ते इंतजार तामिल दिनांक 15-11-22 को पेश हों। लिखने के पश्चात रसीद पोस्ट ऑफिस प्राप्त हुई। वास्ते गौर तामिल दिनांक 15-11-22 को पेश हों।	

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

15-11-22 वकील प्रार्थी उप०। वास्ते गौर तामील दिनांक 27/12/22 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

27/12/22 वकील प्रार्थी उप.। वास्ते गौर तामील दि. 17/01/23 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है ता फैसला T.I जारी रहे [signature]
सहमत हूं। [signature]

17/1/23. बकुलाय फरिकैन उप०। दोनों अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर T.I को ता फैसला करने का निवेदन किया एवं लिखित सहमति प्रदान की। अत: वाद के निस्तारण तक T.I की अवधि बढ़ाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न वाद पत्र हो।

[signature] 17/1/23